I/31122/2022

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवामें,

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय),
बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज।

पटना, दिनांक :–

विषय :– विशाखा दिशा निदेशों के आलोक में गठित समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय पत्रांक 1069 दिनांक 26.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि प्रासंगिक पत्र द्वारा कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न को रोकने हेतु सभी जिलों में शिकायत निवारण समिति के गठन करने का निदेश दिया गया है, जिसके तहत कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी इत्यादि मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन किया जाना है।

वर्त्तमान में सुश्री भावना कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन के साथ श्री कृष्ण कुमार, शिविर प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आने पर बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 193 दिनांक 03.06.2022 द्वारा वर्णित मामले में विशाखा गाईड लाईन के अनुसार एक कमिटी बनाने का उल्लेख किया गया एवं कमिटी का जांच प्रतिवेदन पत्र के साथसंलग्न किया गया।

प्राप्त पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मामला प्रकाश में आने पर आनन–फानन में एक जांच कमिटी गठित की गयी है, जिसमें किसी भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं अन्य स्थायी/नियमित पदाधिकारी को नहीं रखा गया है, जबकि पूर्व में ही शिकायत निवारण समिति गठित करने का निदेश संसूचित किया गया है।

अतः निदेशानुसार पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर विशाखा गाईडलाईन के तहत गठित शिकायत निवारण समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

Signed by Mukul Kumar
Date: 26-08-2022 12:38:32

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।